न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), अमरोहा।

परिवाद संख्या–52/2022
CNR. No.- UPJB010036222022
मुन्शी बनाम विकास आदि।

दिनांक–27.09.2022:–

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। बहस तलबी के बिंदु पर विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को पूर्व में सविस्तार सुना जा चुका है।

संक्षेप में परिवाद कथानक इस प्रकार है कि परिवादी अपने गांव के लगभग 27 व्यक्तियों दिनांक 08.11.2021 को एस.बी.एफ./शिव ईंट भट्टा उद्योग खेकड़ा कोतवाली जिला बागपत ईंट पथाई के लिए ले गया था। परिवादी व उसके साथ गये व्यक्तियों ने 600/–रूपए प्रति एक हजार ईंट के हिसाब से 35,10000/–रूपए का कार्य किया था तथा परिवादी को 1 लाख पर चार हजार रूपए अलग से तय थे। परिवाद व उसके साथ गये व्यक्तियों ने 7 माह कार्य किया। खर्च हेतु परिवादी व उसके व्यक्तियों ने 20 लाख रूपये खर्च हेतु लिये थे। ईंट भट्टा मालिक विकास, अंकुर, राजेश व देवेन्द्र ने कहा कि कार्य करने के लिए मिट्टी नहीं है और आप लोग कुछ समय के लिए घर चले जाये और घर जाने का खर्च हेतु 1,10,000/–रूपए दिये और वाद किया कि शेष बचे 14 लाख रूपये आपके घर हम पहुंचा देंगे। सभी व्यक्ति विश्वास करके दिनांक 12.06.2022 में अपने घर आ गये। परिवादी ने घर आकर भट्टा मालिक विकास को मो0 नं0 9412551753 पर फोन किया तो कहा कि हम आपके घर दो या तीन दिन बाद आ जायेंगे और आपके बाकी बचे 14 लाख रूपये आपको देंगे। घटना दिनांक 15.06.2022 समय करीब 3 बजे दोपहर की है परिवादी अपने घर पर था। भट्टा मालिक ने फोन नं0 9412551753 से फोन किया कि हम कुछ समय में आपके घर पहुंच रहे है तुम अपने घर पर ही रहना। कुछ समय बाद मालिक विकास, अंकुर, राजेश व देवेन्द्र एकराय मशवरा होकर उसके घर में घुस आये और मां–बहन की गंदी–गंदी गालियां देते हुए बोले कि चमार चमट्टे ढेड़ तेरे पैसे हम देकर ही जाएंगे। परिवादी ने गालियां देने को मना किया तो उसके साथ मारपीट करने चालू कर दी। शोर पर गांव की रीना, अमरपाल, गुरमीत, गंगावासी, रघुवीर, वीर सिंह, रवि, पिन्टू आदि लोगों ने उक्त मुल्जिमानें से बचाया। मुल्जिमानों ने कहा कि हमने तुम्हारे सारे पैसे हड़प लिये है और कही शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। परिवादी थाने गया कोई कार्यवाही नहीं हुई तब परिवादी ने पुलिस अधीक्षक अमरोह को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से पत्र प्रेषित किया किंतु कोई कार्यवाही नही हुई। प्रा0पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

परिवादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में धारा 200 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत स्वयं को तथा धारा 202 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत सी.डब्लू–1 रीना एवं सी.डब्लू–2 अमरपाल को परीक्षित कराया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया।

Digitally signed by TRIPTA CHAUDHARY
Date: 2022.09.29 17:11:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

परिवादी के कथनानुसार घटना की तिथि, समय एवं स्थान पर विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी के साथ मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने, धोखाधड़ी कर रूपये हड़पने तथा जातिसूचक शब्द चमार चमट्टे कहकर अपमानित करने का आरोप है। परिवादी ने अपने धारा 200 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत सशपथ बयान देते हुए परिवाद कथानक का समर्थन किया है तथा धारा 202 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत साक्षीगण ने भी अपने साक्ष्य में घटना का समर्थन करते हुए सशपथ बयान दिया है।

अतः उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर एवं अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर मामले में विपक्षीगण विकास, अंकुर, राजेश एवं देवेन्द्र द्वारा प्रथम दृष्टया धारा 420, 323, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)ध अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का अपराध किया जाना प्रतीत हो रहा है। अतः अभियुक्तगण उपरोक्त धाराओं में विचारण हेतु आहूत किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण विकास, अंकुर, राजेश एवं देवेन्द को धारा 420, 323, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)ध अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में तलब किया जाता है। परिवादी आवश्यक पैरवी अंदर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्तगण दिनांक 27.10.2022 को पेश हो।

तृप्ता चौधरी
Id. No:- UP5934
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
अमरोहा।